

✓ legal document/email — aibet wodie@gmail.com
Monday, March 9, 2026

LEGAL DOCUMENTS

WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.29 PM (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.30 PM (1) (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.30 PM (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.31 PM (1) (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.31 PM (2) (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.31 PM (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.32 PM (1) (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.32 PM (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.33 PM (1) (jpeg)	Download
WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.24.33 PM (jpeg)	Download

डॉ अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान
(डी०ए०टी०एस०आर०आई)

का
संशोधित स्मृति-पत्र

1. इस संस्थान का नाम : डॉ अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान होगा।

2. निबंधित कार्यालय- जालापुर कुदरा बौधूर (गोधुआ)

3. प्रशासनिक कार्यालय- जन्मन कामन बॉर्ड नं० 23 ब्रह्मनाथ महल्ला बिसरी.

4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी- डी० ए० टी० एस० आर० आई।

5. संस्थान का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत।

6. अंग्रेजी नाम डॉ अम्बेदकर थाउट ऑफ सोशल रिसर्च एन्टरप्राइज।

7. उद्देश्य जन अनुग्रह से लोक हित।

8. (क) समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सभी तरह के उपेक्षित व्यक्तियों के समुचित विकास के स्थापन करने के विकास की व्यवस्था करना।

(ख) वर्ष में दो बार सांस्कृतिक कार्य-क्रम का आयोजन एवं ग्रामिण कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं प्रशिक्षण देना।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, एवं समाज को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान एवं अन्य प्रकार की शिक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देना।

(घ) महिलाओं को विभिन्न उद्योग में प्रशिक्षण दिलाकर लाभान्वित करना जैसे शिल्पाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, कशियाकरी, गुड़िया, शिल्लोना, पेंटिंग बनाना तथा फल संरक्षण आदि।

(ङ) जन मानस की सदप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाली उत्तेजनीय निष्ठापूर्ण मान्य हित संबंधित कार्यों को प्रकाशित करने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले पत्रिकाओं का प्रकाशन।

8. (अ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं को रियायती दर पर विक्रय हेतु पहल करना।

(आ) महापुरुषों के जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार करना।

(इ) उत्तम खाद एवं उत्तम बीज की उपलब्धता में किसानों को प्रशिक्षण के व्यवस्था करना तथा बालागैर संघर्ष की स्थापना करना।

(ई) ग्रामिण श्रमिकों को श्रम अधिनियमों से परिचित कराना।

9. (क) पशु-वैदिकता के लिए टीकाकरण एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना।

(ख) ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।

(ग) स्पृश्यता उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, जाति प्रथा एवं सती प्रथा जैसी बुराइयों के उन्मूलन में सहयोग करना।

(घ) लोगों में जागृति हेतु शिविर सम्मेलन, प्रदर्शनी या जनसंपर्क अभियान का आयोजन करना।

10. (क) एक आदर्श संस्था की स्थापना जिसमें संस्कृति दर्शन एवं विश्व शांति आदि जैसे तथ्यों का समावेश करना।

(ख) ग्रामीण एवं शहरी लोगों के विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग, गृह उद्योग, हस्तशिल्प, जल संचयन, आवास उद्योग आदि स्थापना करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) पंचायतीराज व्यवस्था एवं नगरपालिका अधिनियम को लोकप्रिय तथा प्रभावी बनाने हेतु कार्य करना।

(घ) पुर्ण नशाबंदी अभियान कार्य-क्रम के अंतर्गत नशा से लिप्त मजदूर एवं जनश्रमिकों को इससे होने वाली हानि से परिचित कराना तथा शराब की आदत को त्यागने हेतु साहित्य प्रकाशित एवं इससे बचने के लिये उपायों का प्रचार-प्रसार करना।

(ङ) सेमित एवं दावाशियों तथा आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए समुचित सहयोग करना।

11. (क) समाज में पिछड़ी जातियों दलितों, महिलाओं आदिवासीयों को अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजातों के कल्याण के लिये योजनाओं का संचालन करना।

(ख) जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

(ग) लोगों की हरीयाली एवं पुरा तत्व विशिष्टता का सर्वेक्षण एवं संरक्षण करना।

(घ) जलउद्योग एवं आंतरिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य कर्मों का क्रियान्वयन करना।



2. (क) आधुनिक, बुनानी, होमियोपैथिक, इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक इण्ड्र प्रेसर मैग्नेटोथोपी, फिजियोथोपी, योग्य चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करना तथा जड़ीबुटियों का संरक्षण एवं इसके विकास के साथ-साथ शोधकार्य एवं प्रशिक्षण तथा इसकी खेति को बढ़ावा देना।
3. (क) असहाय विधवा एवं परिचरिता आदि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में कार्य करना तथा उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं उनके लिए अनुरवास की व्यवस्था करना।
(ख) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिये कल्याणकारीय कार्य-कर्म :- जैसे पुनर्वास चिकित्सा केन्द्र आदि का संचालन करना।
4. (क) प्रदूषित पर्यावरण के शोकथाम हेतु ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य करना। धुवों रहित बुल्बों का उल्लेख करना।
(ख) त्वरित जलापूर्ति योजना के अंतर्गत शहरी एवं बेराती क्षेत्रों में चम्पा कल टियूबवेल के व्यवस्था करना।
(ग) मानव मल-मूत्र सहित कुड़ा कचरा एवं प्लास्टीक को नष्ट कर उसके औषेस से गैर परम्परागत एवं शायोगैस संबंध का विकास करना।
5. (क) जल छजन शहरी एवं ग्रामिण स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम/मुहल्ला/सड़क/नाली इत्यादि का संचालन करना)।
(ख) उत्तम स्वास्थ्य हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना। धुष्ट नियारण पोलियो उन्मुलन, मलेरिया उन्मुलन तथा अन्य घातक बीमारियों के उन्मुलन का योगदान करना साथही आपातकालीन सेवा हेतु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना।
(ग) जीवजंतुओं के रक्षार्थ दवाईयों का वितरण तथा टिकाकरण के कार्यक्रम का संचालन करना इसके अलावा पारामेडिकल प्रशिक्षण करन एवं गोसाला आदि का निर्माण करना।
(घ) आधुनिक कम्प्यूटर प्राली को विकशित करने कि देशा में कार्य करना तथा प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना।
6. उपशोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करना एवं उनमें नियम कानून के प्रति जागरूकता पैदा करना।
7. ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्रों में बालश्रम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना तथा बाल मजदुरों के लिये शैक्षणिक संरक्षण की स्थापना करना एवं उनके लिये पुनरवास कि व्यवस्था करना। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का संचालन करना।
8. (क) जनजाति भाषा के विकास हेतु पहल करना एवं उनकी सास्कृतिक पहचान को बचाए रखने हेतु प्रयास करना।
(ख) आर्थिक उद्देश्य विकास हेतु वायो इन्धन (वायो डिजल) जटरोबा आदि तैलियपेंडो को लगाने हेतु स्थानिय लोगों को जागरूक करना। उपयुक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त उन सभी कार्यों को करना जो ग्रामीण एवं शहरी की दशा में संस्थाओं ट्रेस्टों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यों की स्थापना करना एवं सफल बनाना।
9. विद्यालय स्तर से स्नोतकोत्तर स्तर तक अपेक्षापूर्ण एवं पत्रकारीता द्वारा शिक्षा तथा शिक्षक युविधाओं को उपलब्ध कराना के लिए बचनबद्ध होना।
20. शिक्षा के किसी भी स्तर पर सरकारी अर्धसरकारी स्वकाशित निजि कल्याण से संस्थाओं द्वारा आयोजित भिन्न-भिन्न प्रतियोगिता परिक्षाओं तथा प्रबंध और विकासके भिन्न-भिन्न शखाओं जैसे ब्यापार प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा के प्रबंध, ओद्योगिक प्रबंध, श्रमिक कानून, श्रमिक कल्याण, ग्रामिण विकास प्रशिक्षण और विकास कौर्टर एकाउन्टेसी, होटल प्रबंध, बितिय संबंधी प्रबंध कार्यालय प्रबंध, भौतकी प्रबंध, भितरी अलंकार, कम्प्यूटर शिक्षा प्रबंध, शिक्षण, प्रशिक्षण और दुसरे संबंध क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष या पत्रचार द्वारा शिक्षण एवं कौचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना।
21. डी0ए0टी0एस0आर0आई0 तथा इसके विसय वस्तु के साथ निरंतर विकास के लिये पेसेवर विद्वान व्यक्तियों और समाजीक पेसेवर संगठन के साथ स्थानिय, क्षत्रिय, राजकिय, राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रिय स्तर पर सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं एवं निजि संगठनों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण पत्रचार कौचिंग सलाह संबंध आदि के लिए संबंध स्थापित करना या सहयोग करने के लिये बचनबद्ध होना।
22. जन कल्याण हेतु भारत सरकार बिहार सरकार एवं अन्य देशी-विदेशी सामाजिक संस्थाओं ट्रेस्टों व्यक्तियों से दान, वंन्दा, उपहार आदी से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यों की स्थापना करना एवं सफल बनाना। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का संचालन करना।



डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान की संशोधित

नियमावली

1. संस्थान का नाम :-

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान ।

2. संस्थान का निलंबित कार्यालय

लालापुर कुदरा कैमूर (भभुआ)

3. प्रशासकीय कार्यालय

नन्दन कानन वॉड नं० 23 इंदगाह महल्ला डिहरी

4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में

डी०ए०टी०एस०आर०आई०

5. संस्था का कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण भारत

6. संस्थान का उद्देश्य

जन अनुग्रह से लोकहित ।

7. संस्थान की परिभाषा

(क) संस्थान से अभिप्राय है।

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

(ख) समिति से अभिप्राय है- संस्थान की कार्यकारीणी समिती।

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव
कोसाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है- एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक

(इ) एकट से अभिप्राय है - संस्थान अधिनियम 21, 1860

8. सदस्यता :-

कोई भी स्त्री एवं पुरुष जो भारत का नगरिक होगा-जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी तथा संस्थान के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करेगा संस्थान का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने हेतु निहीत प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा। जिसकी स्वीकृती या अस्वीकृती कार्यकारीणी समिति द्वारा प्रदान कि जायेगी तथा प्रत्येक सदस्य को 51 रुपये का प्रवेश शुल्क एवं 21 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

9. सदस्यता दो प्रकार कि होगी :-

(क) आजिवन सदस्यता - जो आजिवन सदस्य बनना चाहेगा उसे 5011 रुपये का प्रवेश शुल्क अदा करना पड़ेगा।

(ख) क्रियाशिल सदस्यता - जो सदस्य प्रवेश शुल्क, वार्षिक प्रवेश शुल्क अदा करते हैं ये वे क्रियाशिल सदस्य होंगे।

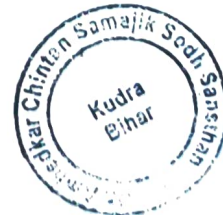
10. सदस्यता से वंचित करना :-

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर मृत्यु होने पर, पागल होने पर या दिवालिया होने पर ।

(ख) संस्थान के नियम एवं उद्देश्यों का उल्लंघन करने पर ।

(ग) सदस्यता शुल्क समय पर नहीं देने पर ।

(घ) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।



(इ) बिना कारण बताये समिति की लागूतात्तर तीन बैठकों अनुपस्थित होने पर।

11. संस्थान के द्वारा निर्बंधित किये गये सदस्य की संस्था का कार्यकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधे

पर निर्बंधित किये गये सदस्य को भविष्य में पुनः गलती की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रमाण पत्र देने पर दोबारा सदस्यता दी जा सकती है। दोबारा सदस्यता प्राप्ति के लिये उनको उचित पुरवाना आदि अदा करना होगा।

12. संस्था में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

अध्यक्ष	-एक	-उपाध्यक्ष	-एक
सचिव	-एक	-उपसचिव	-एक
कोषाध्यक्ष	-एक	-सदस्य	-छ

13. कार्यकारीणी समिति का गठन :-

(क) कार्यकारीणी समिति कम से कम ग्यारह सदस्यों की होगी।

(ख) समिति की पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा।

(ग) समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

(घ) अगर समिति में कोई में कोई पद रिक्त हो तो शेष औधी के लिये उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोजित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुना करा लेना होगा।

14. संस्था की रूप रेखा :-

(क) राष्ट्रीय कार्यकारीणी समिति।

(ख) प्रांतिये कार्यकारीणी समिति।

(ग) जिला कार्यकारीणी समिति।

(घ) प्रखण्ड कार्यकारीणी समिति।

(इ) ग्राम पंचायत कार्यकारीणी समिति।

15. कार्यकारीणीयो के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष:-

(क) संस्था की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करना।

(ख) बैठक बोलाने हेतु सचिव को निर्देश देना।

(ग) अध्यक्ष का कार्य काल पाँच साल का होगा।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय लेना।

(इ) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना एवं जिला प्रखण्ड, पंचायत के इकाइयों का गठन कार्यकारीणी के राय से करना।



उपाध्यक्ष :-

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिती की बैठक के अध्यक्षता करना ।
- (ख) अध्यक्ष के अनुपस्थिती में सारे कार्यों का संपादन करना ।

सचिव:-

- (क) बैठक का आयोजन करना ।
- (ख) बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना व अध्यक्ष का हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- (ग) कार्यालय की देख-रेख कार्यवाही पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- (घ) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी परिचास करना, संस्थान के पुर्य अनुमति के बिना 500/- रुपया तक व्यय करना ।
- (ङ) संस्था का पत्रचार एवं आय - व्यय, रख - रखाव और निगानि करना तथा समय पर अंकेशन करना ।
- (च) सचिव का कार्यकाल 5 साल का होगा एवं जिला प्रखण्ड पंचायत की ईकाइयों का देख-रेख करना ।
- (छ) अधिक आय-व्यय पर नियंत्रण रखना ।
- (ज) संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण राज्य के अंदर या बाहर देश के किसी भी हिस्से में करना तथा उसकी सुचना निबंधन कार्यालय को 15 दिनों के भितर देना होगा । साथ ही शाखा या उपशाखा को राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी स्थापित करना ।

उप सचिव:-

- (क) सचिव के अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना ।
- (ख) सचिव को सहयोग देना तथा संस्था के कार्यों में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष:-

- (क) संस्था के सभी कोशों को बैंक में जमा करना तथा निकालना एवं उनका पुरा-पुरा हिंसाब किताब रखना । कोषाध्यक्ष का कार्यकाल पाँच साल का होगा ।
- (ख) आय-व्यय को सचिव के द्वारा बैठक में रखना ।
- (ग) सदस्यता शुल्क तथा चंदा प्राप्त कर रशीद देना । एक बही में अंकित करना । संस्था के कोष का अध्यक्ष एवं सचिव और कोषाध्यक्ष के किन्हीं दो के हस्ताक्षर से बैंक में जमा करना एवं राशी की निकाशी करना होगा ।



14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के विसम्बर का अंतिम सप्ताह होगा।
15. संस्था का वित्तीय साधन/ (आय स्रोत) :
सदस्यों द्वारा चन्दा, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा अनुदान तथा ऋण विदेशी संस्थाओं जैसे यूनीसेफ आदि से सहयोग तथा अनुदान एवं उदारवान व्यक्तियों एवं वित्तीय संगठनों द्वारा दान आदि तथा समय-समय पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निष्पादन से आय प्राप्त करना इत्यादि संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत होंगे।
16. संस्था के कोरम :
प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।
17. संस्था का पंजीकरण :
संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला पंचण्ड एवं ग्राम पंचायत इकाई संस्था का राज्य संस्था की शाखाएँ समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।
18. पंजीकरण का निरक्षण :
संस्था की सभी निबंधीत कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेख पंजी, कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरक्षण कर सकते हैं।
19. संस्था के संविधान में परिवर्तन / संसोधन :
संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यकारणी समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सूचना रजिस्टर ऑफ सोसाइटीलज को एक्ट 21, 1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।
20. संस्था का कोष :
संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 प्रतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जमा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जमा करेगा।
21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार :
अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा।
22. संस्था की बैठक :
संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सदस्य के राय से वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी। तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।



14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर का अंतिम राप्ताह होगा।

15. संस्था का वित्तीय साधन/ (आय स्रोत) :

सदस्यों द्वारा चन्दा, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनुदान तथा ऋण विदेशी संस्थाओं जैसे यूनीसेफ आदि से सहयोग तथा अनुदान एवं उदारवान व्यक्तियों एवं वित्तीय संगठनों द्वारा दान आदि तथा समय-समय पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निष्पादन से आय प्राप्त करना इत्यादि संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत होंगे।

16. संस्था के कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

17. संस्था का पंजीकरण :

संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत इकाई संस्था का राज्य संस्था की शाखाएँ समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।

18. पंजीकरण का निरीक्षण :

संस्था की सभी निबंधित कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से राज्य पंजी, लेख पंजी, कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

19. संस्था के संविधान में परिवर्तन / संसोधन :

संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यवाही समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सूचना रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को एक्ट 21, 1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।

20. संस्था का कोष :

संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 प्रतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जमा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जमा करेंगे।

21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार :

अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राष्ट्रीय बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा।

22. संस्था की बैठक :

संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सचिव के राय से वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी। तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।



14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर का अंतिम सप्ताह होगा।

15. संस्था का वित्तीय साधन/ (आय स्रोत) :

सदस्यों द्वारा चन्दा, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा अनुदान तथा ऋण विदेशी संस्थाओं जैसे यूनीसेफ आदि से सहयोग तथा अनुदान एवं उदारवान व्यक्तियों एवं वित्तीय संगठनों द्वारा दान आदि तथा समय-समय पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निष्पादन से आय प्राप्त करना इत्यादि संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत होंगे।

16. संस्था के कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

17. संस्था का पंजीकरण :

संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला पंचण्ड एवं ग्राम पंचायत इकाई संस्था का राज्य संस्था की शाखाएँ समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।

18. पंजीकरण का निरीक्षण :

संस्था की सभी निबंधीत कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेख पंजी, कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

19. संस्था के संविधान में परिवर्तन / संसोधन :

संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यकारणी समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सुचना रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को एक्ट 21, 1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।

20. संस्था का कोष :

संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 प्रतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जामा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जामा करेंगे।

21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार :

अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा।

22. संस्था की बैठक :

संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सचिव के राय से वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी। तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।



डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान की संशोधित नियमावली

1. संस्थान का नाम :-

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान ।

2. संस्थान का निर्लेखित कार्यालय

लालापुर कुदरा कौमूर (भभुआ)

3. प्रशासकीय कार्यालय

नन्दन कानन वॉड नं० 23 इंदगाह महल्ला डिहरी

4. संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में

डी०ए०टी०एस०आर०आई०

5. संस्था का कार्यक्षेत्र

संगपूर्ण भारत

6. संस्थान का उद्देश्य

जन अनुग्रह से लोकहित ।

7. संस्थान की परिभाषा

(क) संस्थान से अभिप्राय है।

डॉ० अम्बेदकर चिन्तन समाजिक शोध संस्थान

(ख) समिति से अभिप्राय है- संस्थान की कार्यकारीणी समिति।

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव

कोसाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है- एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक

(इ) एक्ट से अभिप्राय है - संस्थान अधिनियम 21, 1860

8. सदस्यता :-

कोई भी स्त्री एवं पुरुष जो भारत का नगरिक होगा-जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी तथा संस्थान के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करेगा संस्थान का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने हेतु निहीत प्रपत्र में आवेदन पत्र देना होगा। जिसकी स्वीकृती या अस्वीकृती कार्यकारीणी समिति द्वारा प्रदान कि जायेगी तथा प्रत्येक सदस्य को 51 रुपये का प्रवेश शुल्क एवं 21 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

9. सदस्यता दो प्रकार कि होगी :-

(क) आजीवन सदस्यता - जो आजीवन सदस्य बनना चाहेगा उसे 5011 रुपये का प्रवेश शुल्क अदा करना पड़ेगा।

(ख) क्रियाशिल सदस्यता - जो सदस्य प्रवेश शुल्क, वार्षिक प्रवेश शुल्क अदा करते हैं ये वे क्रियाशिल सदस्य होंगे।

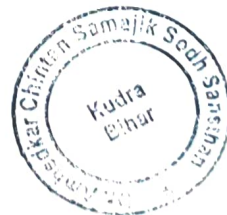
10. सदस्यता से वंचित करना :-

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर मृत्यु होने पर, पागल होने पर या दिवालिया होने पर ।

(ख) संस्थान के नियम एवं उद्देश्यों का उल्लंघन करने पर ।

(ग) सदस्यता शुल्क समय पर नहीं देने पर ।

(घ) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।



(इ) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठको अनुपस्थित होने पर।

11. संस्थान के द्वारा निर्बंधित किये गये सदस्य की संस्था का कार्यकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधे

पर निलंबित किये गये सदस्य को भविष्य में पुनः गलती की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रमाण पत्र देने पर दोबारा सदस्यता दी जा सकती है। दोबारा सदस्यता प्राप्ति के लिये उनको उचित जुरवाना आदि अदा करना होगा।

12. संस्था में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

अध्यक्ष	-एक	-उपाध्यक्ष	-एक
सचिव	-एक	-उपसचिव	-एक
कोषाध्यक्ष	-एक	-सदस्य	-छः

13. कार्यकारीणी समिति का गठन :-

(क) कार्यकारीणी समिति कम से कम ग्यारह सदस्यों की होगी।

(ख) समिति की पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जायेगा।

(ग) समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

(घ) अगर समिति में कोई में कोई पद रिक्त हो तो शेष औधी के लिये उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोदित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुना करा लेना होगा।

14. संस्था की रूप रेखा :-

(क) राष्ट्रीय कार्यकारीणी समिति।

(ख) प्रांतिये कार्यकारीणी समिति।

(ग) जिला कार्यकारीणी समिति।

(घ) प्रखण्ड कार्यकारीणी समिति।

(इ) ग्राम पंचायत कार्यकारीणी समिति।

15. कार्यकारीणीयो के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष:-

(क) संस्था की प्रत्येक बैठक का अध्यक्षता करना।

(ख) बैठक बोलाने हेतु सचिव को निर्देश देना।

(ग) अध्यक्ष का कार्य काल पाँच साल का होगा।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय लेना।

(इ) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना एवं जिला प्रखण्ड, पंचायत के इकाइयों का गठन कार्यकारीणी के राय से करना।



उपाध्यक्ष :-

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिती की बैठक के अध्यक्षता करना ।
- (ख) अध्यक्ष के अनुपस्थिती में सारे कार्यों का संपादन करना ।

सचिव:-

- (क) बैठक का आयोजन करना ।
- (ख) बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना व अध्यक्ष का हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- (ग) कार्यालय की देख-रेख कार्यवाही पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- (घ) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी परियास करना, संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना 500/- रुपया तक व्यय करना ।
- (ङ) संस्था का पत्रचार एवं आय - व्यय, रख - रखाव और निगानि करना तथा समय पर अंकेशन करना ।
- (च) सचिव का कार्यकाल 5 साल का होगा एवं जिला प्रखण्ड पंचायत की ईकाइयों का देख-रेख करना ।
- (छ) अधिक आय-व्यय पर नियंत्रण रखना ।
- (ज) संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण राज्य के अंदर या बाहर देश के किसी भी हिस्से में करना तथा उसकी सुचना निबंधन कार्यालय को 15 दिनों के भितर देना होगा । साथ ही शाखा या उपशाखा को राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी स्थापित करना ।

उप सचिव:-

- (क) सचिव के अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना ।
- (ख) सचिव को सहयोग देना तथा संस्था के कार्यों में सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष:-

- (क) संस्था के सभी कोशों को बैंक में जमा करना तथा निकालना एवं उनका पुरा-पुरा हिसाब किताब रखना । कोषाध्यक्ष का कार्यकाल पाँच साल का होगा ।
- (ख) आय-व्यय को सचिव के द्वारा बैठक में रखना ।
- (ग) सदस्यता शुल्क तथा चंदा प्राप्त कर रशीद देना । एक बही में अंकित करना । संस्था के कोष का अध्यक्ष एवं सचिव और कोषाध्यक्ष के किन्हीं दो के हस्ताक्षर से बैंक में जमा करना एवं राशी की निकाशी करना होगा ।



14. संस्था का वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर का अंतिम सप्ताह होगा।

15. संस्था का वित्तीय साधन/ (आय स्रोत) :

सदस्यों द्वारा चन्दा, सदस्यता शुल्क केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनुदान तथा ग्रहण विधी संस्थाओं जैसे यूनीसेफ आदि से सहयोग तथा अनुदान एवं उदारवान व्यक्तियों एवं वित्तीय संगठनों द्वारा दान आदि तथा समय-समय पर संस्था द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निष्पादन से आय प्राप्त करना इत्यादि संस्था के वित्तीय साधन के स्रोत होंगे।

16. संस्था के कोरम :

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। नियमित बैठक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

17. संस्था का पंजीकरण :

संस्था का पंजीकरण केवल राज्य स्तर पर ही होगा। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत इकाई संस्था का राज्य संस्था की शाखाएँ समझी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।

18. पंजीकरण का निरीक्षण :

संस्था की सभी निबंधित कार्यालय में रहेगी। जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से राज्य पंजी, लेख पंजी, कार्यवाही पंजी सदस्यता पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

19. संस्था के संविधान में परिवर्तन / संसोधन :

संस्था के संविधान में संसोधन राज्य कार्यकारणी समिति के 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। इसकी सूचना रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज को एक्ट 21, 1860 के अनुसार भेज दी जायेगी।

20. संस्था का कोष :

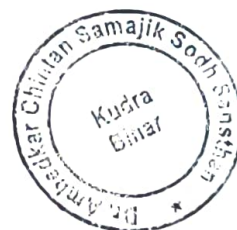
संस्था की सभी इकाइयों द्वारा एकत्रीत कोष में से प्रत्येक इकाई में 40 प्रतिशत को छोड़कर शेष 60 प्रतिशत कोष राज्य कोषाध्यक्ष के पास प्रत्येक माह में जमा कर दिया जायेगा। जिसको कोषाध्यक्ष संस्था के नाम से बैंक में जमा करेंगे।

21. बैंक से पैसा निकालने का अधिकार :

अध्यक्ष, एवं कोषाध्यक्ष, में से किसी एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक घर में खाता खोला जाएगा। जिन्हें संस्था का उद्देश्य के मुताबिक पैसा निकालने का अधिकार होगा।

22. संस्था की बैठक :

संस्था की सभी स्तर की इकाइयों की बैठक प्रत्येक स्तर की इकाई के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक स्तर के सचिव के राय से वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी। कार्यकारणी की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी एवं आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह में होगी। तथा आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं।



23. कार्यकारीणी समिति के अधिकार एवं कार्य:-

संस्था के सभी कार्य कर संपादन विधिवत करना एवं प्रस्ताव परीत करना संस्था का चल-अचल सम्पत्ती का उत्तर दायी होगा। उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्यकरना तथा उपशखा का गठन करना है, प्रमाण-पत्र जारी करना

24. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना। समिति के पदाधिकारीयो एवं सदस्यों का निर्वाचन करना अध्यक्ष के राय से अन्य विषय पर विचार करना।

25. बैठक की सुचना :-

कार्यकारीणी की बैठक की सुचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी एवं आवश्यक बैठक की सुचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

26. कानूनी कार्यवाही :-

संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगी।

27. विधि का अंकेक्षण :

यदि निबंधन महानिरीक्षण चाहे तो किसी भी संस्था का अंकेक्षण किसी प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड से करा सकते है, जिसका खर्च संस्था को ही वहन करना होगा।

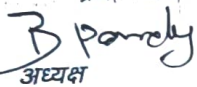
28. संस्था का विघटन :

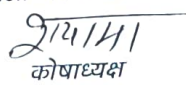
संस्था के विघटन के पूर्व सरकार से अनुमति प्राप्त कर यह विघटित होगा एवं आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमती से सामान्य उद्देश्य वाली दुसरी संस्था या सरकार को सारी सम्पति दे दी जायेगी।

29. अन्याय:

संस्था का अन्य कार्य जिसके संबंध नियमावली में उपलब्ध नहीं हो पाया है वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह इस नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।


अध्यक्ष


कोषाध्यक्ष


सचिव

